राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37( )परावि/प्र.2/कलिभ/2012/2986 जयपुर दिनांकः 16/09/19

—:: परिपत्र ::—

विभागीय आदेश क्रमांक 2420 दिनांक 29.05.18 के द्वारा समस्त जिला परिषदों को निर्देशित किया गया था कि "कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 की प्रकिया के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2013 में दस्तावेज सत्यापन हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहे थे, उन्हे वर्ष 2017 में पुनः प्रारम्भ की गई प्रकिया में दस्तावेज सत्यापन का अवसर नही दिया जायेगा। इसी क्रम में विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 3382 दिनांक 06.09.2017 एवं परिपत्र क्रमांक 1484 दिनांक 02.04.2018 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में रिट याचिकाऐं दायर की गई, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए उन्हें दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिये जाने के आदेश दिये गये है।माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 550/2018 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम बबीता चौधरी (अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16318/17) में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने पारित निर्णय दिनांक 12.03.2018 में याचिका खारिज कर निम्न निर्देश दिये है :–

"We find no infirmity in the impugned order which only shifts the date of verification of the documents for the reason the writ petitioners were not intimated the date fixed by the Department for verification of the documents. The appeals is dismissed in limine."

उक्त प्रकरण विभागीय स्टेंण्डिग कमेटी की बैठक दिनांक 24.05.2018 में रखा जाने पर कमेटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना का निर्णय लिया गया है। अतः ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम/अंतिम आदेश जारी किया गया है, उन्हें कंसीडर किया जाना अपेक्षित है। याचिकार्थी के कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत वर्ष 2013 की कटऑफ में स्थान रखने, अन्यथा पात्र होने एवं संबंधित श्रेणी में पद उपलब्ध होने पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही पर नियमानुसार विचार किया जावें।

इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में सम्बन्धित जिला परिषद प्रथमतः यह सुनिश्चित करें कि जिन प्रार्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है उनके द्वारा किसी भी अन्य जिला परिषदों में दस्तावेज सत्यापन हेतु तत्समय अथवा कालान्तर में उपस्थिति नहीं दी गई है, यदि उनके द्वारा अन्य किसी भी जिला परिषद में उपस्थिति दी गई है तो अभ्यावेदन

स्वीकार करने तथा दस्तावेज सत्यापन का कोई आधार नहीं रहा है क्योंकि इनके द्वारा बोनस अंकों का लाभ भर्ती में केवल एक स्थान पर ही लिया जा सकता था। बोनस अंकों के लाभ के बाद भी किसी जिला परिषद में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के उपरान्त उनका अन्तिम चयन नहीं होने के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा अन्य किसी जिला परिषद में बोनस अंक के आधार पर चयन का अधिकार नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जिला परिषदों को यह भी दृष्टिगत रखना होगा कि श्रेणीवार विज्ञापित पदों के विरूद्ध उनके द्वारा कितने अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये है। यदि श्रेणीवार विज्ञापित पदों की संख्या के समान नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये है तो वर्तमान में पद पर अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने के कारण ही रिक्त होंगे। इन पदों को श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची के द्वारा ही नियमानुसार नियत समय तक भरे जाने का प्रावधान है। साथ ही जिन प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्व में आदेश जारी किये गये है उन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत ही अन्य अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दस्तावेज सत्यापन हेतु आधार रखा जाना होगा अर्थात समस्त नियुक्तियों हेतु एक ही प्रावधान लागू रहेंगे।

जिला परिषदों के पास लम्बित अभ्यावेदनों को उपरोक्तानुसार परिक्षण करते हुये दिनांक 16.9.2019 तक निस्तारित कर दिये जावें। यह निर्देश जिला परिषदों द्वारा मार्गदर्शन चाहे जाने के सम्बन्ध में जारी किये जा रहे है।

(आशुतोष ए.टी. पेंडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि.पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.पं.राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. उप शासन सचिव (विधि), पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

12/9/2019

संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त